न्यायालय आर्बिट्रेटर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडॉर रेल परियोजना एवं संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सी0आर0मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त, अजमेर)

परिवाद संख्या :–2019/00143/आर्बिटेशन/अजमेर

1. श्रीमति अनोपी देवी पत्नी चतुर्भुज कौम जाट निवासी ग्राम मांगलियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
2. श्रीमती शांति पत्नी जुगराज कौम जाट निवासी ग्राम मांगलियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

––परिवादी

बनाम

1. प्राधिकृत भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर।
2. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडॉर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, जरिये मुख्य परियोजना अधिकारी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडॉर, कुन्दन नगर चौराहा, अजमेर।

––अप्रार्थीगण

परिवाद विरूद्ध अवार्ड ग्राम दौलतखेड़ा अभिनिर्णय दिनांक 17–4–2017
सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर

उपस्थितः–

1. श्री लेखू मंघानी, अभिभाषक–परिवादी
2. श्री विभोर गौड़, अभिभाषक – अप्रार्थी संख्या–02

पंचाट/निर्णय

दिनांक :– 19–7–2023

परिवाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर के द्वारा ग्राम मांगलियावास तहसील पीसांगन में स्थित भूमि अवाप्ति के बारे में अवार्ड दिनांक 17–04–2017 को पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

परिवाद Sub-to Limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। परिवादी व अप्रार्थी संख्या 2 के दोनों अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र रेल्वे एक्ट 2008 की धारा 20 (6) के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अवार्ड की कोई सूचना प्रार्थीगण को नहीं दी तथा ना ही अवार्ड की प्रतिलिपि ही भिजवाई। प्रार्थीगण को अभी तक स्वीकृत अवाप्ति राशि भी नहीं भिजवाई गई। प्रार्थीगण से जैसे ही दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा तब मालूम चला कि प्रार्थीगण के नाम से कोई अवार्ड भी जारी हुआ है प्रार्थीगण ने अवार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु दिनांक 7–9–2018 को आवेदन किया उसके पश्चात प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त कर परिवाद प्रस्तुत किया गया। रेल्वे एक्ट 2008 की धारा 20 (6) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई मियाद निर्धारित नहीं है फिर भी यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः परिवाद प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत परिवाद को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या–2 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा परिवादी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थीगणों को सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पूर्व में पारित अभिनिर्णय दिनांक 14–7–2011 में नोटिफाईड नहीं थी विधिअनुसार अभिनिर्णय दिनांक 27–9–2017 जारी किया गया जिसमें तय मुआवजा हिस्से अनुसार अनोपी देवी का हिस्सा 84643/– रूपये व शांति देवी का हिस्सा 84642/– रूप्ये था जिसका भुगतान प्रार्थीगणों को किया जा चुका है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे।

हमने दोनों पक्ष के अधिवक्तागण की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में रेल्वे एक्ट 2008 की धारा 20 (6) के तहत समय–समय पर जारी प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसरण में प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से परिवादी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि ग्राम मांगलियावास तहसील पीसांगन की जमाबंदी सम्वत 2065–68 में अंकित इन्द्राजों के अनुसार खसरा नम्बर 29 रकबा 1.2800 किस्म चाही–3 के खातेदार परिवादीगण थे। उक्त वर्णित सम्पत्ति की अवाप्ति की सूचना धारा 20 (क) के तहत

क्रमांक काअ/2094(अ) जारी की गई जिसमें परिवादीगण के स्वामित्व की सम्पत्ति के कुछ हिस्से को अर्जित करने की सूचना प्रकाशित हुई। इसके पश्चात एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें परिवादीगण के सम्पत्ति को अवाप्त करने की सूचना प्रकाशित हुई। तत्पश्चात दिनांक 17–4–2017 को अभिनिर्णय पारित कर परिवादीगण का निम्नानसार मुआवजा तय किया गया।

कुल अवाप्त भूमि	भूमि का मूल्य	आवासीय मकान का कुल मुआवजा	सहायता राशि	कुल मुआवजा
0.6241 है0	2,40,279/–	–	–	1,20,139/–

उक्त कुल 2,40,279/–रूपये मुआवजे के रूप में तय करने के पश्चात आधा हिस्सा 1,20,139/– अनोपी देवी को व आधा हिस्सा 1,20,139/– रूपये शांति देवी के नाम मुआवजा तय किया गया।

उनका यह भी तर्क है कि सक्षम अधिकारी ने दिनांक 14–7–2011 को थोक मालियान का जो अवार्ड जारी किया गया था उस अवार्ड में अवाप्तिधीन खसरा नम्बर रेल (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20–ए एवं 20 ई के अन्तर्गत रेल मंत्रालय द्वारा भूमि का अर्जन करने का आशय भारत का राजपत्र क्रमशः दिनांक 11–8–2009 व 15–6–2010 में जारी अजमेर तहसील के ग्रामों के 72 खसरा नम्बर पूर्व अवार्ड में शामिल कर लिये गये थे तथा 425 खसरा नम्बरों का अधिसूचनाओं में अंकित क्षैत्रफल से अधिक क्षैत्रफल का अधिग्रहण करने का अंकन पूर्व अवार्ड दिनांक 14–7–2011 में कर दिया गया था तथा तहसील अजमेर के ग्राम थोक मालियान के 0.5 खसरा नम्बर रेल्वे की निर्माणाधीन ट्रेक की जद में आने से नवीन खसरा नम्बरों की अब विधिवत भूमि अवाप्ति प्रक्रिया पूर्ण करने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट पीटिशन नम्बर 8961/14 एवं 14293/14 निर्णय दिनांक 29–1–2015 की पालना में विचाराधीन खसरा नम्बरों की अब विधिवत भूमि अवाप्ति प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु भूमि अवाप्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी। रेल अधिनियम 2008 की धारा 20ए की अधिसूचना दिनांक 2–7–2015 को प्रकाशित की गई तथा धारा 20डी के अन्तर्गत सुनवाई की तारीख नियत की गई एवं धारा 20ई की अधिसूचना दिनांक 22–8–2016 को जारी की गई एवं अखबार में इसका प्रकाशन दिनांक 15–6–2016 को किया गया। तत्पश्चात दिनांक 17–4–2017 को अवार्ड जारी किया गया जिसमें निम्नानुसार मुआवजा निर्धारित किया गया।

कुल अवाप्त भूमि	भूमि का मूल्य	पूर्व में अवार्ड में अवाप्त भूमि दी गई मुआवजा राशि मय सोलेशियम मनी	कुल मुआवजा
0.1848 है0	2,68,153/–	71,148/–	1,97,005/–

उक्त मुआवजा राशि रूपये 2,68,153/–रूपये में से दोनों सहखातेदारों को आधा–आधा हिस्सा दिया गया। इसमें प्रत्येक सहखातेदार की पूर्व अवार्ड में दी गई अनुदान राशि 13,860/– प्रत्येक का काटते हुए प्रत्येक खातेदार को कुल 84,643/– रूपये दिये गये है। उक्त मुआवजा अवार्ड दिनांक 17–04–2017 के विरूद्ध परिवादी द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

उनका यह भी तर्क है कि नये अवार्ड में पूर्व अवार्ड में अवाप्त भूमि की दी गई मुआवजा राशि मय सोलेशियम मनी 71,148/– को काटने के बाद शेष 1,97,005/– रूपये मुआवजा तय किया गया जबकि पूर्व में अवाप्त भूमि एवं वर्तमान में अवाप्त भूमि में फर्क है वास्तव में पूर्व में एवं वर्तमान में जो अवार्ड जारी किया गया उसमें प्रार्थीगण की कुल कितनी भूमि अवाप्त की गई है वह स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। जमाबंदी सम्वत 2068–2065 में ग्राम मागलियावास की खसरा नम्बर 29 जिसके नये खसरा नम्बर 3036/29 की कुल 0.6241 हैक्टेयर भूमि रेल विभाग के नाम दर्ज है। यदि पूर्व एवं वर्तमान अवार्ड में अवाप्त भूमि को जो़ड़ा जावे तो भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। इस प्रकार दोनों ही अवार्ड विधि के प्रावधानों के तथा रेल्वे एक्ट की धारा 20ए व 20ई की जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसके अनुरूप नहीं है और इसमें नये सिरे से अवाप्ति की कार्यवाही की जाकर आगे कार्यवाही की जानी चाहिए।

परिवादी अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि रेल मंत्रालय ने परिपत्र क्रमांक ई (एनजी) 4/2010/आरसीएस/1/99/2010 दिनांक 16.07.2010 को एक आदेश जारी कर अवाप्त की जाने वाली भूमि/भवन के मालिक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी व्यवस्था की है। सक्षम अधिकारी के समक्ष इस बिन्दु को उठाया गया था तथा उक्त आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की गई थी, परन्तु सक्षम अधिकारी ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया। परिवादी का परिवार बहुत गरीब है तथा अवाप्ति के पश्चात उसके पास रहने का अन्य कोई साधन नहीं है। इसलिए परिवादी के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलवाई जाये। भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ने दिनांक 23.05.2015 को जो पत्र DFCCIL को लिखा है, उसमें Entitlement of Matrix For DFC संलग्न किया है। उसमें सरकारी नौकरी दिया जाना सम्भव नहीं होने पर एकमुश्त 5,00,000/– रूपये की राशि दिये जाने की व्यवस्था की है।

रेलवे अधिनियम (संशोधित एक्ट नं. 11) 2008 की धारा 20 एफ (8) () (इ) व (ब) में अधिग्रहित सम्पत्ति का कब्जा लेने व उस व्यक्ति को अन्य शिफ्ट करने में जो हानि होगी, उसका भुगतान भी प्रभावित पक्षकार को करने की व्यवस्था है। इसी प्रकार धारा 20 जी (5) (6) के तहत भी प्रतिकर की राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है जो कि करवाया जावे। रेल्वे अधिनियम (संशोधन संख्या 11/2008) 2008 की धारा 20–ओ के तहत नैशनल रिहेब्लिटेशन एण्ड रि–सेटलमेंट पॉलिसी 2007 के प्रावधान इस प्रोजेक्ट में भी लागू किये गए हैं। इसी प्रकार भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था का अधिकार अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची के बिन्दु संख्या 2 व 3 के अनुसार भूमि के बदले भूमि दिये जाने की व्यवस्था है। परिवादी की जो भूमि अवाप्त की गई है, उसके बराबर विकसित भूमि परिवादी को दिलवाई जाये। बिन्दु संख्या 5 के अनुसार प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को एक वर्ष तक तीस हजार रूपये प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता दिये जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार 50,000/–रूपये परिवहन खर्चा एवं बिन्दु संख्या 10 के अनुसार एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता अनुग्रह राशि जो कम से कम 50,000/– रूपये है, दिये जाने की व्यवस्था करावें। परियोजना हेतु भूमि के फलस्वरूप अनुच्छेद 7.4.1 के अनुसार सहायता राशि रा.पु.व.पु. नीति 2007 के अनुच्छेद 7.11 के अनुसार स्थानांतरण सहायता एवं पारगमन सहायता तथा अनुच्छेद 7.12 के अनुसार सहायता राशि भी दिलवाई जावे। रेल्वे अधिनियम 2008 की धारा 20 एच (5) के तहत बढ़े हुए मुआवजे पर नियमानुसार 12 प्रतिशत ब्याज दिलवाया जावें।

उनका यह भी तर्क है कि परिवादी अवाप्तशुदा परिसर में एक दुकान चलाता था जो अवाप्ति के कारण टूट गई तथा परिवादी का जीविकोपार्जन का साधन समाप्त हो गया। इसके लिए नियमानुसार परिवादी 5,00,000/–रूपये अतिरिक्त राशि पाने का अधिकारी है।

राजस्थान पुनर्वास नीति 2007 के प्रावधानों के तहत भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के अनुसार 2,13,000/– रूपये सहायता राशि दिलवाई जावे। 30,000/– रूपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता के हिसाब से 3,60,000/– रूपये इस मद से भुगतान कराया जावे।

प्रभावित पक्षकार के परिवार को रेलवे विभाग में सरकारी नौकरी दिलाई जाये, यदि यह सम्भव नहीं हो तो एकमुश्त 5,00,000/– रूपये की राशि दिलाई जावे । अतः परिवादी का परिवाद स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या–2 के विद्वान अभिभाषक ने परिवादी के कथनो के संबंध में बहस के दौरान कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 29–1–2015 एवं दिनांक 25–4–2016 में दिये गये निर्देशों की पालना में केवल उसी भूमि की पुनः अवाप्तिकरण की कार्यवाही की गई जो पूर्व अवार्ड दिनांक 14–7–2011 में नोटिफाईड नहीं थी। विधिनुसार अभिनिर्णय/अवार्ड दिनांक

27—9—2017 पारित किया गया जिसमें तय मुआवजा हिस्सेनुसार अभिनिर्णय/अवार्ड दिनांक 27—9—2017 जारी किया गया जिसमें तय मुआवजा हिस्सेनुसार अनोपी देवी का हिस्सा 84,643/— व शांति देवी का हिस्सा 84,642/— रूप्यें था जिसका भुगतान प्रार्थीगणो को किया जा चुका है।

उनका यह भी तर्क है कि भूमि अवाप्ति अधिनियम 2008 की धारा 20 ओ के तहत पुर्नवासन नीति 2007 पर आधरित एन्टाईटल मेट्रिक्स 2007 रेल्वे अधिनियम 2008 पर लागू होती है। भूमि की किस्म परिवर्तन आज्ञापक पूर्वशर्त है जिसके अभाव में प्रार्थी का कथन मान्य नहीं है कि बाजार की विद्यमान गतिविधियों व परिस्थितियों के आधार पर बाजार दर तय होती है मान्य नहीं है। रेल्वे संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 20 जी में विशिष्ट रूप से बाजार दर के निर्धारण के मापदण्ड प्रावधित है जिनकी यथोचित पालना की गई है फिर भी प्रार्थीगणों का मुआवजा उपलब्ध आवासीय दर की एलएलसी दर से बनाया गया है। भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधान रेल्वे संशोधित अधिनियम—2008 पर लागू नहीं होते है। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर का आदेश दिनांक 9—5—2018 व दिनांक 25—9—2018 से स्पष्ट है कि अधिनियम 2013 के प्रावधान रेल्वे संशोधित अधिनियम 2008 के द्वारा अवाप्त भूमि पर लागू नहीं होते है। बल्कि अधिनियम 2013 पर आधारित रेल्वे एन्टाईटल मेट्रिक्स 2015 के प्रावधान लागू होते है जिसकी पूर्णतया पालना की गई है। प्रार्थी की भूमि ग्राम मांगलियावास अजमेर में स्थित है वहां की नियमानुसार बाजार मूल्य जैसा कि रेल्वे अधिनियम 2008 की धारा 20जी में उल्लेखित है, को ध्यान में रखते हुए मुआवजे का निर्धारण किया गया है। बाजार मूल्य से चार गुणा मुआवजे का कहीं पर भी प्रावधान नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि परिवादी का परिवाद में कथन है कि परिपत्र दिनांक 16—7—2010 के तहत एक सदस्य को नौकरी दिये जाने का दावा किया है परन्तु डीएफसी द्वारा की जाने वाली भूमि अवाप्ति में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है एवं रेल्वे की नीति डीएफसी पर लागू नहीं होती है। परिवादी को मुआवजा रल्वे संशोधित अधिनियम 2008 व Entitlement of Matrix —2015 के प्रावधानों के अनुसार विधिसम्मत पारित किया गया है। इस पर अतिरिक्त 12 प्रतिशत ब्याज का प्रश्न नहीं उठता है। साथ ही राष्ट्रीय पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति—2007 उपरोक्त अवार्ड दिनांक 17—4—2017 पर लागू नही है। परिवादी को रेल्वे अधिनियम—2008 के तहत मुआवजा विधिसम्मत पारित किया है मुआवजा राशि बढ़ने की कोई संभावना नहीं है और ना कोई ब्याज बनता है। मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व एक संयुक्त सर्वेक्षण करवाया गया तथा उक्त अवाप्त भूमि से आजीविका प्रभावित होने वाले हितबद्धधारियों की मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसके अनुसार पात्र पाये गये हितबद्धधारियों को नियमानुसार मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की उक्त बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन कर सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट होते है कि सक्षम अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी अजमेर ने दिनांक 17–04–2017 को संशोधित अवार्ड जारी करने हेतु संबंधित खातेदार/हितबद्धधारी को नोटिस जारी कर इस संबंध में 7 दिवस के अन्दर आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 33 दिये गये प्रावधानानुसार क्षतिपूर्ति राशि संशोधित करते हुए पूर्व अवार्ड राशि रूपयें 1,22,77,669/– का अवार्ड जारी किया गया है। एवं संशोधित अवार्ड दिनांक 27–9–2017 को 3969434/– रूपये का जारी किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 29–1–2015 में दिये गये निर्देशों की पालना में केवल उसी भूमि की पुनः अवाप्तिकरण की कार्यवाही की गई जो पूर्व अवार्ड दिनांक 14–7–2011 में नोटिफाईड नहीं थी। विधिनुसार अभिनिर्णय/अवार्ड दिनांक 17–4–2017 पारित किया गया जिसमें तय मुआवजा अनुसार उनके हिस्से की राशि अनोपी देवी का हिस्सा 84,643/– व शांति देवी का हिस्सा 84,642/– रूपयें था जिसका भुगतान प्रार्थीगणो को किया जा चुका है।

सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी ने अभिनिर्णय दिनांक 17–04–2017 में उल्लेखित किया है कि जिन–जिन खसरा नम्बरों में मौके पर कब्जेदार के रूप में हितबद्धधारी/खातेदारों को आवासीय भूखण्ड के अनुसार मुआवजा तय किया गया है सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा समस्त प्रावधानों का ध्यान में रखकर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। साथ ही बेचान दस्तावेज/इकरार नामे से तस्दीक भूमि जिनका राजस्व अभिलेख में इन्द्राज नहीं है का मुआवजा प्राप्त करने के लिए हितबद्धधारी को पर्याप्त साक्ष्य एवं प्रमाणीकरण होने के पश्चात निर्विवाद स्थिति में भूमि का भुगतान किया जायेगा। भूमि का भौतिक सत्यापन होने पर ही भुगतान किया जायेगा ऐसा साक्ष्य एवं भूमि का रकबा प्रमाणीकरण कराने का दायित्व संबंधित परिवादी का ही होगा। रेल्वे अधिनियम 2008 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत रेलवे में नौकरी दी जाती हो।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादी को मुआवजा रेल्वे संशोधित अधिनियम 2008 व Entitlement of Matrix –2015 के प्रावधानों के अनुसार विधिसम्मत पारित किया गया है। परिवादी का यह कथन असत्य है कि परिवादी की जो भूमि अवाप्त की गई है उसके बराबर विकसित भूमि परिवादी को दिलाई जावे। रेल्वे अधिनियम 2008 में ना तो मकान के बदले मकान और ना जमीन के बदले जमीन देने का कोई प्रावधान है। परिवादी की भूमि व संरचना की अवाप्ति रेल्वे संशोधित अधिनियम 2008 के तहत हुई है एवं मुआवजा अधिनियम 2008 व उस पर आधारित Entitlement of Matrix –2015 के प्रावधानानुसार विधिसम्मत नियमानुसार बनाया गया है। साथ ही राष्ट्रीय पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति–2007 उपरोक्त अवार्ड दिनांक 17–4–2017 पर लागू नही है। परिवादी को रेल्वे अधिनियम–2008 के तहत

मुआवजा तय किया है मुआवजा राशि बढ़ने की कोई संभावना नहीं है और ना कोई ब्याज बनता है। परिवादी को सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा रेल्वे अधिनियम की धारा 20डी के तहत प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर पारित अवार्ड दिनांक 17–4–2017 में अनोपी देवी का हिस्सा 84,643/– व शांति देवी का हिस्सा 84,642/– बनता है जिसका भुगतान प्रार्थीगणो को किया जा चुका है। राजस्व रेकार्ड अनुसार अवाप्तशुदा भूमि कृषि भूमि है जिसे रूपान्तरण नियमों के तहत परिवादी ने किस्म परिवर्तन कराया हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगणों का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर परिवादी का आर्बीटेशन परिवाद प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और सक्षम अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, अजमेर द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 17–4–2017 एवं संशोधित अवार्ड दिनांक 27–09–2017 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

पंचाट/निर्णय आज दिनांक 19–7–2023 को मध्यस्थ द्वारा पारित किया गया।

(सी0आर0मीना)
मध्यस्थ एवं
संभागीय आयुक्त,
अजमेर